फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

कमली देवी वगै0 बनाम मूली देवी वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या : 183/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपल्ब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थन पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी भूमियों खसरा नम्बर 49 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 51 रकबा 4.02है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.04है0 भूमियां वाके ग्राम डूंगा का बास, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी में स्थित है। जिसमें आने जाने के लिए राजस्व नक्शें में रास्ता कटा हुआ नही है। अतः उक्त भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 55 में से मुताबिक नजरी नक्शें में दर्शित पिले रंग के स्थान में होकर 20 फिट चौडा रास्ता नियमानुसार निकलवाये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमियों में आने जाने का खसरा नम्बर 54 मे से कच्चा रास्ता था वर्तमान में खसरा नम्बर 50 व 51 व डामर रोड के लगवा खसरा नम्बर 55 को व्यवसायिक हेतु कनर्वजन करवाकर मैन रोड से 120 फिट छोडकर 10 फिट चौडाई की दुकाने काटी गई थी। जिसमें से एक दुकान वादीया सं0 2 ने अपनी स्वयं की लागत से कय करके अपनी भूमियों खसरा नम्बर 49, 50, 51 में आने जाने के रास्ते के उपयोग उपभोग में ले रही है तथा वादीया सं0 1 व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने भी मिलकर उक्त भूमियों में आने जाने हेतु 10 फिट चौडाई का रास्ता खसरा नम्बर 54 मे से लिया है जिसमें से होकर पूर्व मे वादी एवं प्रतिवादी आते जाते थे अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर मुताबिक रिपोर्ट पाया कि प्रार्थीगणों के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। जो मौके पर चालू है। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	